कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www. tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/07/पीएमटी–पीईटी/2025–26/8133 नवा रायपुर दिनांक 07/10/2025

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति–64, अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल एवं प्री. इंजीनियरिग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना अंतर्गत इस क्षेत्र में कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से प्रस्ताव आंमत्रित किये जाते है।

1	रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	07.10.2025 दोपहर 02:00 बजे से
2	रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	15.10.2025 अपरान्ह 2:00 बजे
3	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	06.11.2025 सायं 5:00 बजे तक
4	प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	07.11.2025 दोपहर 12:00 बजे
5	तकनीकी मुल्याकंन एवं अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	पृथक से दी जावेगी

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाईट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट **www.tribal.cg.gov.in**से अवलोकन किया जा सकता है तथा ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **https://eproc.cgstate.gov.in** के निविदा क्रमांक 177226 .से वांछित जानकारी/प्रपत्र का अवलोकन/ डाउनलोड कर सकते है।

(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक–डी, भू–तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़
Phone No. 0771-2263708, Fax No.–2262558, www. tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/07/पीएमटी–पीईटी/2025–26/8104 नवा रायपुर दिनांक 07 /10/2025

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतम 100 (अनुसूचित जनजाति–64, अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण किए हो तथा ड्राप लेकर प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते है, के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजनांतर्गत ऐसे कोचिंग संस्थाओं से,जो राज्य में संचालित हो,जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञ तथा आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हो,उनसे"रूचि की अभिव्यक्ति" अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। योजनांतर्गत चयनित कोचिंग संस्था कोविद्यार्थियों के लिए कोचिंग का समस्त व्यय, आवास एवं भोजन, पुस्तक, स्टेशनरी, चिकित्सा व्यय, प्रवेश परीक्षा शुल्क तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा दी जाती है।

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :–संस्था के न्यूनतम अर्हता संबंधी विवरण। (EC-1 से EC-7 तक की जानकारी रखा जाये)
2. द्वितीय बंद लिफाफा :–संस्था के गुणात्मक योग्यता संबंधी विवरण। (इसके अंतर्गत TE-1 से TE- 3 तक की जानकारी रखा जाये)
3. तृतीय बंद लिफाफा :–वित्तीय लिफाफा (इसके अंतर्गत वित्तीय दर का लिफाफा FB-1 रखाजाना है। प्रारूप संलग्न है)

स्कैन कर अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट एवं पठनीय तथा अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। संस्था के न्यूनतम अहर्ता संबंधीं दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा(गुणात्मक योग्यता) एवं तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा) खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। जिसमें गुणात्मक मूल्यांकन के 100 अंको के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर के 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में समिति के द्वारा किया जायेगा।

गुणात्मक मूल्यांकन :–न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही गुणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :–

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की अधोसंरचना तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर	20
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षो में दी गई कोचिंग से आई.आई.टी., एन.आई.टी., नीट, एम्स, पी.ई.टी. तथा पी.एम.टी. इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण के आधार पर ➢ (100 प्रतिशत चयनित के लिए अधिकतम 20 अंक)	20

3	विषय के शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार (अनिवार्य5 शिक्षकों की संबन्धित विषय मेयोग्यता अधिकतम 15अंक एवं शिक्षक का अनुभव अधिकतम 10अंक) ➢ (प्रति शिक्षक 10 वर्ष के अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा तथा अनिवार्य 5 शिक्षकों के औसत अनुभव के आधार पर संस्था को अंक प्रदान किया जाएगा) ➢ (अनिवार्य5 शिक्षकोंके अतिरिक्त संबन्धित विषय के शिक्षक हेतु प्रति विषय–शिक्षक01 अंकअधिकतम 05अंक) (शिक्षक की योग्यता के अंको का निर्धारण परिशिष्ट TE-2)	30
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीतिके प्रेजेन्टेशन के आधार पर	20
5	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (रूपये 50.00 लाख से अधिक एवं रूपये 100.00 लाख तक 05 अंक, रूपये 100.00 लाख से अधिकत एवं रूपये 150.00 लाख तक 7.5 अंक तथा रूपये 150.00 लाख से अधिक होने पर 10 अंक)	10

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्ते, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट **www.tribal.cg.gov.in** तथा ई–प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल **https://eproc.cgstate.gov.in** से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते है। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपये 5000/– (शब्दों में पांच हजार मात्र) तथा जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

इच्छुक संस्थाए आमानत राशि (एफ.डी.आर.)आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, प्रथम लिफाफा में स्कैन कर संलग्न करे तथा मूल प्रति कार्यालय में जमा करें।

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत् प्रस्ताव जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

1	रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	07.10.2025 दोपहर 02:00 बजे से
2	रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	15.10.2025 अपरान्ह 2:00 बजे
3	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	06.11.2025 सायं 5:00 बजे तक
4	प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	07.11.2025 दोपहर 12:00 बजे
5	तकनीकी मुल्याकंन एवं अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना	पृथक से दी जावेगी

"रूचि की अभिव्यक्ति" के संबंध में PreBid Meetingतिथि से 48 घण्टे पहले तक जो भी अपत्ति हो ई–मेल **yuvacarriernirman@gmail.com**पर पत्र के माध्यम से कार्यालय को सूचित करना होगा। पत्र में अपत्ति की गई विषय यस्तु के अतिरिक्त किसी भी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाईट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट**www.tribal.cg.gov.in**से अवलोकन किया जा सकता है।

कोचिंग संस्था को युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) अंतर्गत नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

टीप :– चयनित संस्था को समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
(अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 8104 दिनांक 07/10/25 के संदर्भ में)

भाग– एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनिमय 1973/कम्पनीज एक्ट/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN), टेन (TAN) एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3.	(i) कोचिंग संस्था/फर्म का कोचिंग कार्यो का वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का औसत टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रकियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप उक्त 03 वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2024–25 का ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक –पृथक उल्लेख होगा। (ii) माह जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 का जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण (सत्यापित अभिलेख)। (iii)उक्त 03 वर्षो की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति। वर्ष 2024–25 का आयकर रिटर्न पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से आय प्रमाण पत्र देना होगा।	
4.	अमानत राशि के रूप में निर्धारित राशि रू 2.00 लाख का एफ.डी.आर. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, संलग्न करे।	
5.	आवेदन शुल्क हेतु 5000/–जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।	
6.	संघ/संयुक्त उद्यम वाले कोचिंग संस्था मान्य नहीं होंगे।	
7.	निविदा प्रकाशन दिनांक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग संस्था/फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।इस संबंध में संलग्न EC-7 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्र सहित

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किय जाने वाले अभिलेखों की जानकारी

(EC–1 से EC–7 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट–EC–1
कोचिंग संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र

परिशिष्ट–EC–2
कोचिंग संस्था का PANएवं TAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट–EC–3
छ.ग. राज्य का जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(माह जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 का जी.एस.टी. जमा किए गए का विवरण)

परिशिष्ट–EC–4
जीवित IT RETURNप्रमाण पत्र संलग्न करें।

(वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 कुल 03 वर्षो की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति।
वर्ष 2024–25 का आयकर रिटर्न पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से आय प्रमाण पत्र)

परिशिष्ट–EC–5
कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट।

(वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25)

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता .... का ऑडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर प्री0 मेडिकल एवं प्री0 इंजीनियरिंग परीक्षाओं की कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है:–

क्र.	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2022–23	
2	2023–24	
3	2024–25	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
With Seal
UDIN NO.

परिशिष्ट –EC–6
पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र
(50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईजड)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. द्वारा जारी "रूचि की अभिव्यक्ति" क्रमांक.................................दिनांक .... के संबंध में हमारी फर्म/संस्था ....पता.. ....की ओर से मैं ....आत्मज..पता....... ....उम्र......................... आधार क्रमांक.................................... फर्म में हैसियत (पद) . ...से अधिकृत होकर नाम....................................आत्मज...पूरा पता ....आधार क्रमांक..को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता/करती हूँ।

यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –EC–7

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (Self Declaration) (रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी..पूरा पता ....की ओर से मैं.. (संचालक का नाम) आज दिनांक .... की स्थिति में घोषणा करता/करती हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।संस्था द्वारा कोचिंग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले फैकल्टी/शिक्षक का चरित्र अच्छा है तथा उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

तकनीकी मुल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखो की जानकारी (TE-1से TE-3तक)

भाग – दो (द्वितीय लिफाफा)

परिशिष्ट–TE-1

संस्था का सामान्य परिचय–(पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम : ....
(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता : ....
: ....
(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक : ....

3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :–
(अ) समिति/कंपनी का नाम : ....
(ब) समिति/कंपनी के कार्यालय : ....
का पूर्ण पता : ....
(स) दूरभाष (कोड सहित) : ....

4. (अ) समिति/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है : ....
(पूर्ण विवरण देंवे) : ....
(ब) समिति/कंपनीका एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक : ....
(स) समिति/कंपनी का वैद्यता दिनांक : ....
(द) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक : ....
(इ) समिति/कंपनीके अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक : ....
(फ) समिति/कंपनीके गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, : ....
सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता : ....
मोबाईल नंबर सहित : ....

5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....

6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :–
(अ) इन्चार्ज का नाम : ....
(ब) शैक्षणिक अर्हता : ....
(स) अनुभव : ....

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

<u>परिशिष्ट–TE-2</u>

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विवरण</th><th>संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क. अंकित करें</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों/स्टडी मटेरियल की एक–एक प्रति।
(किताबों/स्टडी मटेरियल की सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं किताबों/स्टडी मटेरियल की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक एक प्रति।
(सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कोचिंग संस्था से प्री0 इंजीनियरिंग एवं प्री0 मेडिकल परीक्षा में विगत 3 वर्षो में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची। (वर्षवार पृथक–पृथक जानकारी देवें)
<u>(क) :–कोचिंग संस्था में प्रवेश की जानकारी :–</u>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या</th><th>परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या</th><th>परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या</th><th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
<u>(ख) :– चयनित विद्यार्थियों की जानकारी :–</u>
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>विद्यार्थी का नाम</th><th>परीक्षा का नाम</th><th>महाविद्यालय का नाम जिसमें विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है</th><th>मोबाईल नबंर</th><th>चयन वर्ष</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
नोट :– वर्षवार पृथक–पृथक कॉलम में जानकारी देवे। यदि योजना के तहत अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है तो उपरोक्त कॉलम (क) एवं (ख) में वर्षवार पृथक–पृथक जानकारी देवें।</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>कोचिंग संस्था के फैकल्टी का विवरण जिन्हें कोचिंग हेतु नियुक्त किया जाएगा। कोचिंग संस्था द्वारा अनिवार्य विषय–Physics,Chemistry,Maths, Zoology एवंBotanyहेतु पृथक–पृथक संबन्धित विषय मे स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण न्यूनतम 5 फैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(EOI में दिये गये फैकल्टी की अनुपस्थिति/छोड़ने की स्थिति में EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार subtitute फैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में subtitute फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह प्रति subtitute फैकल्टी के मान से रूपये 15,000/– पैनाल्टी कटौती की जायेगी। फैकल्टी का subtitution संबंधित विषय के लिए एक बार ही लागू होगी। एक बार से अधिक subtitution की स्थिति में प्रति फैकल्टी रूपये 30,000/– पैनाल्टी कटौती की जायेगी)</td><td></td></tr>
</table>

क्र.	शिक्षक कानाम	योग्यता (स्नातक / स्नाकोत्तर / शास. इंजीनियरिंग कॉलेज / एन.आई.टी. / आई.आई.टी. / शासकीय / अशासकीय कॉलेज से एम.बी.बी.एस. / एम.डी. / एम. एस / बी.डी.एस. / एम.डी.एंस.)	स्नातक का विषय	स्नाकोत्तर का विषय	अनुभव	अध्यापन का विषय
1	2	3	4	5	6	7

नोट :–अनिवार्य 5शिक्षकों / फैकल्टी एवं अतिरिक्त शिक्षकों / फैकल्टी की पृथक–पृथक जानकारी देवें।

गुणात्मक मूल्यांकन के सरल क्रमांक 3 पर अंकित योग्यता का विवरण निम्नानुसार है :–

योग्यता	संबन्धित विषय मे स्नातक			संबन्धित विषय मे स्नाकोत्तर		
	45 % से अधिक एवं 60 % से कमअंक या समकक्षCGPA	60 % से अधिक एवं 80% से कमअंक या समकक्षCGPA	80% से अधिकअंक या समकक्षCGPA	45 % से अधिक एवं 60 % से कमअंक या समकक्षCGPA	60 % से अधिक एवं 80% से कम अंक या समकक्षCGPA	80% से अधिकअंक या समकक्षCGPA
अंक	02	04	07	01	02	03

स्नातक एवं स्नाकोत्तर निम्नांकित महाविद्यालयों से किया हो तो उनके अतिरिक्त अंक जोड़े जायेंगे :–

(क) :–इंजीनियरिंग हेतु (अतिरिक्त अंक जोड़े जायेंगे)

महाविद्यालय (इंजीनियरिंग)	स्नातक		स्नाकोत्तर	
	एन.आई.टी. / आई. आई.आई.टी.	आई.आई.टी.	एन.आई.टी. / आई. आई.आई.टी.	आई.आई.टी.
अंक	02	03	01	02

(ख) :– मेडिकल हेतु (अतिरिक्त अंक जोड़े जायेंगे)

महाविद्यालय	स्नातक	स्नाकोत्तर
शासकीय कॉलेज से एम.बी.बी.एस. / एम.डी. / एम.एस	03	02
अशासकीय कॉलेज से एम.बी.बी.एस. / एम.डी. / एम.एस	02	01
शासकीय कॉलेज से बी.डी.एस. / एम.डी.एस.	01	01

एक या एक से अधिक बार स्नातक / स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा।

नोट :–कोचिंग देने वाले सभी शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची / डिग्रीकी कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षक द्वारा **संयुक्त सत्यापित** (छायाप्रति) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। संयुक्त सत्यापित नहीं होने की स्थिति मे संबन्धित शिक्षक के योग्यता एवं अनुभव का अंक प्रदाय नहीं किया जाएगा।

तद्संबंध में परिशिष्ट TE-3प्रारूप में नोटराईज्डशपथ पत्र प्रस्तुत करें।

6	**आवासीय सुविधा का विवरण :–**	
	i. छात्रावास हेतु कोचिंग संस्था का स्वयं का भवन है अथवा किराये पर (यदि किराये पर है, तो अनुबंध की प्रति संलग्न करें)	....
	ii. छात्रावास भवन अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जर्जर नहीं होना चाहिए	....
	iii. कितने छात्र–छात्राओं के लिए पृथक–पृथक आवासीय सुविधा है	....
	iv. छात्रावास भवन में कुल आवासीय कमरे की संख्या एवं साईज तथा कमरो में उपलब्ध सुविधाएं	....
	v. छात्रावास भवन में स्वच्छ शौचालय, स्नानागारकी संख्या (प्रति 10 विद्यार्थियों पर एक शौचालय/स्नानागार होना एवं सफाई हेतु स्वीपर की सुविधा होना चाहिए।)	....
	vi. छात्रावास में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. सिस्टम की सुविधा	
	vii. मेस हॉल, किचन, रीडिंग रूम, टेलीविजन एवं ब्राऊण्ड्रीवॉल सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण	....
	viii. छात्रावास संचालन एवं सुरक्षा हेतु नियोजित कर्मचारियों का विवरण (सूची संलग्न करें)	....
	ix. छात्राओं की सुरक्षा हेतु महिला गार्ड की व्यवस्था का विवरण	
	x. सी.सी.टी.वी. तथा अग्निशामक उपकरणों की क्रियाशील स्थिति (Running Condition) में व्यवस्था इत्यादि	....
7	कोचिंग की अवधि – **कोचिंग प्रारंभ होने के दिनांक से JEE (MAINS एवं ADVANCE)तथा NEET2026 की परीक्षा होने तक की होगी।**	

टीप :– तकनीकी योग्यता अंतर्गत संस्था के स्थल निरीक्षण में कंडिका 6 में दर्शित सुविधाएं उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।

परिशिष्ट–TE-3

संस्था संचालक की घोषणा

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा "रुचि की अभिव्यक्ति" मे उपलब्ध कराई गई समस्तजानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक् से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख/दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षाओं से संबंधित है।

3. मैं प्री0 मेडिकल तथा प्री0 इंजीनियरिंग परीक्षाओं के तैयारी हेतु परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) युवा कैरियर निर्माण योजना एवं "रुचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशो का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक : ....
स्थान : ....

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :– प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक/संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) के अंतर्गत वर्ष 2025–26 में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

परिशिष्ट –FB-1

तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.......................दिनांक...................के संदर्भ में)

(राशि रूपये में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर(जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह)	
		अंको में	शब्दों में
1.	प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) हेतु युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2021) की कंडिका 9 में दर्शित सुविधाओं सहित		

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

अन्य शर्ते :–

चयनित कोचिंग संस्था को प्रवेशित अभ्यर्थियों के आधार पर भुगतान की जानी वाली राशि का80 प्रतिशत भुगतान 03 किश्तो में किया जायेगा। प्रथम किश्त 03 माह की राशि का भुगतान संस्था में प्रवेशित विद्यार्थियों तथा सहायक आयुक्त द्वारा निरीक्षण उपरांत किया जायेगा। द्वितीय किश्त 03 माह की राशि का भुगतान कोचिंग प्रारंभ होने के 03 माह बाद किया जायेगा। तृतीय किश्त संबंधित परीक्षा की तिथि के आधार पर किया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान निम्न शर्तो के अधीन होगा :–

- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम20 प्रतिशत अभ्यर्थी शासकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश लेनेपर शेष सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत अभ्यर्थी शासकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश लेनेपर केवल 15 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत अभ्यर्थी शासकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश लेनेपर केवल 10 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 05 प्रतिशत अभ्यर्थी शासकीय इंजीनियरिंग/मेडिकल कॉलेजो में प्रवेश लेनेपर केवल 05 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगी।

इस हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

पद मुद्र सहित